

User Instructions

1. इस विज्ञापन में सम्मिलित समर्त पदों के लिये पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिये पृथक—पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है।
2. इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पत्र है किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है।
3. प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित आवेदन—पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है।
4. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा।
5. फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है।
6. बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन—पत्र स्वीकार किया जायेगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
8. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा किया जाना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया जाना अभ्यर्थी का दायित्व है।
9. ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर तथा मान्य ई—मेल आई.डी. अंकित करना होगा, उसके बिना उनका रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं होगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर पर सभी सूचनायें/निर्देश एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित किये जायेंगे तथा यथावश्यक ई—मेल, अभ्यर्थी के ई—मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जायेंगे।
11. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य किसी प्रकार/माध्यम से प्रेषित आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
12. View advertisement पर विलक करने पर पूर्ण विज्ञापन प्रदर्शित होगा, तदोपरान्त apply पर विलक करें। ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने का कार्य तीन स्तरों पर सम्पन्न होगा:-

प्रथम स्तर—

Apply पर विलक करने पर परीक्षा के सापेक्ष Candidate Registration प्रदर्शित होगा। Candidate Registration पर विलक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पश्चात् submit button पर विलक करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाओं को भली—भाँति जांच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो edit button पर विलक करने के उपरान्त सूचनायें संशोधित कर लें। पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् submit button पर विलक करें जिससे प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। अभ्यर्थी उक्त रजिस्ट्रेशन की प्रति भी प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर-

परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से स्टेट बैंक कलेक्ट (state bank collect) पर जाकर ई-चालान अथवा ऑनलाइन माध्यम (internet banking / cards) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं पर जमा किया जा सकता है। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि जमा करके ई-चालान की प्रति प्राप्त करना होगा जिसे अभ्यर्थी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जायेगा। ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रान्जेक्शन आई.डी. एवं जरनल नम्बर अंकित किया जायेगा जिसका उपयोग अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय किया जायेगा।

तृतीय स्तर-

द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् proceed for final submission of application form पर विलक करने पर आवेदन प्रपत्र प्रदर्शित होगा। उक्त प्रपत्र में ऑनलाइन सूचनायें भरनी होगी तथा फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यदि फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित आकार में नहीं होंगे तो ऑनलाइन अवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाय कि अभ्यर्थी की फोटो नवीनतम् आवक्ष होनी चाहिये। फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिणिष्ठ..... 1 में दी गयी है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त प्रविष्टियां अंकित करने के पश्चात् अभ्यर्थी preview button पर विलक करके भरी गयी सूचनाओं की पुष्टि कर लें तथा पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त् ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु submit button को विलक करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा submit button को विलक नहीं किया जायेगा तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रिन्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की कठिनाई एवं विसंगति होने की स्थिति में उक्त प्रिन्ट की मांग की जा सकती है अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित (debar) किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है, के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन कर दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

14. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में, इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें तथा अपेक्षा किये जाने पर उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
15. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, प्रदान की जायेगी।
16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।
17. महिला अभ्यर्थियों के प्रकरणों में, पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
18. भूतपूर्व सैनिकों को, उनके लिये रिक्विटयां उपलब्ध होने पर, केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा।
अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा, यदि करायी जाती है तो, अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है, के समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। यदि प्रारम्भिक परीक्षा नहीं करायी जाती है तो भी उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित प्रतियां अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त अभिलेख संलग्न न करने अथवा सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

19. वैवाहिक प्रास्थिति—

ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक की महामहिम श्री राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।